



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

सेवा में,

सम्बन्धित प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
हरियाणा राज्य में।

यादी कमांक स्थापना-III/ए-1/टीई/120/80/डी.सी.रेट/2016/ 4372
दिनांक 21/3/17

विषय:-

अनुबन्ध आधार पर चयन होने उपरान्त प्रार्थियों को कार्यग्रहण करवाने
बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

सूचित किया जाता है कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की हिदायतों अनुसार टरनर व
वैल्डर अनुदेशकों के रिक्त पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने के लिये कमेटी द्वारा तैयार की गई
मैरिट/चयन सूची के आधार पर जो पार्थी मैरिट में वरिष्ठ थे। उन्हें निदेशालय के पत्र दिनांक 2.3.2017 के
अनुसार संस्थान अलाट कर दिये गये थे लेकिन कुछ प्रार्थियों की धरेलू परिस्थितियों के कारण उनको अन्य
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यग्रहण करवाया जाना है, उनका ब्यौरा निम्न अनुसार दिया जाता
है :-

ITI/CTI Turner Trade.

SR. No	Name of Candidate/ Address	Catage ry	Name of Institute	Remarks
1	Ravinder S/O Sh. Ishwar Singh VPO Siwani Bolan Distt. Hisar	Gen.	GITI, Madina (Rohtak) Now Balsamand (Hisar)	Against vacant post
2	Kuldeep Singh S/o Rohtash VPO Dhanderi The. Hansi Distt. Hisar	Gen.	GITI, Kaithal Now Madina (Rohtak)	Against vacant post
3	Kirmanji S/o Sh. Nasruddin Near Civil Rest House W. No. 8 Ferozepur Jhirka	BCB	GITI, Gurgaon Now Nagina (Mewat)	Against vacant post

ITI/CTI (Welder)

SR. No	Name of Candidate/ Address	Catager y	Name of Institute	Remarks
1	Kamal Sharma S/o Ved Parkash Sharma, Parshuram Colony Near Chanar Thal, Kuruksherta	EBP(G)	G.I.T.I, Kushak (Palwal) Now Majra Piyau (Hisar)	Against vacant post

सभी संस्थानों के मुखिया को आदेश दिये जाते हैं कि वह सम्बन्धित व्यवसाय में दाखिला पूर्ण
होने की स्थिति में ही प्रार्थियों से नियमानुसार उनके मूल दस्तावेजों का निरीक्षण करते हुए Service Agreement
करने उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर अन्दर कार्यग्रहण करवाया जाये और उसकी कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रति तुरन्त
निदेशालय को भिजवाये। इसके साथ-साथ उसकी शैक्षणिक योग्यता / अनुभव प्रमाण पत्रों की वैरीफिकेशन
करवाई जाये, यदि किसी प्रार्थी का कोई प्रमाण पत्र गलत/बोगस पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तुरन्त समाप्त
करते हुये निदेशालय को सूचित किया जाये। CWP No.21132 of 2016 में दिनांक 14.12.2016 को माननीय
पजांब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा निर्देश दिये हैं कि the appointment made, if any in pursuance to the
advertisement dated 25.4.2016 shall be subject to the outcome of this petition. उन आदेशों को
उम्मीदवारों के Agreement में अंकित किया जाए।

सहायक निदेशक (स्थापना-III)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,